नगर पंचायत नारकण्डा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/14 से 3/16

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)–खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत नारकण्डा, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न प्रधान व सचिव कार्यरत्त रहेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री ओम प्रकाश शर्मा	01.04.11 से 31.01.16
2	श्रीमती कमलेश कैंथला	1.2.16 से 31.3.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राजेन्द्र ठाकुर नायब तहसीलदार	01.04.14 से 16.11.14
2	श्रीमती कंचन बाला, सचिव	17.11.14 से 6.12.14
3	श्री राजेन्द्र ठाकुर नायब तहसीलदार	7.12.14 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर पंचायत नारकण्डा के लेखाओं अवधि 4/14 से 3/16 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	₹ लाखों में
1	अनुदान राशियों का व्यय न करना	5.1	92.85
2	IDSMT में प्राप्त अनुदान का अनाधिकृत व्यय	5.2	13.12

3	अनुदानों को रोकड़ बही एवं बैंक खाते में प्राप्ति से सम्बन्धित प्रविष्टियों का न पाया जाना	5.3	1.18
4	बजट में दिये लक्ष्य अनुसार कम व्यय करना	6	81.79
5	गृहकर की बकाया वसूली न करना	7 (1)	8.03
6	गृहकर दाताओं से गृहकर वसूली के अन्तर्गत 50**%** की अनाधिकृत छूट देने के कारण वित्तीय नुकसान	7 (2)	1.78
7	किराये के रूप में बकाया वसूली न करना	8	15.22
8	पट्टेधारियों से टोकन लीज मनी की वसूली न करना	9	0.28
9	मोबाईल कम्पनियों से टावर शुल्क की वसूली न करना	10	2.14
10	निर्माण कार्यों में अधिक भुगतान करना	11	0.07
11	वेतन का गलत निर्धारण कर अधिक भुगतान	12(1)	0.67
12	नायब तहसीलदार व पटवारी को मानदेय का अनियमित भुगतान	14	0.56

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के **परिशिष्ट "अ"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व कृत अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

नगर पंचायत नारकण्डा, जिला शिमला के लेखाओं अवधि 4/14 से 3/16 तक का अंकेक्षण श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 22.10.16 से दिनाँक 25.11.16 तक नगर पंचायत नारकण्डा में किया। आय व व्यय के लेखाओं के अंकेक्षण के लिये क्रमश माह 2/15, 2/16 व 11/14 तथा 11/15 का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में दर्शाया गया है। वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेखों के आधार पर किया गया। संस्थाध्यक्ष द्वारा

उपलब्ध करवाई गई गलत सूचनाओ अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। क्योंकि स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत नारकण्डा के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹26000/–बनता है। सचिव, नगर पंचायत, नारकण्डा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 26.11.16 द्वारा उक्त राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद नारकण्डा, जिला शिमला की वित्तीय स्थिति सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "क"** के अनुसार 31.3.2016 को निम्नलिखित थी।

Statement of Fanancial position for the year 2011-12 to 2015-16 of N.P. Narkanda

Year	Sources	Opening Bal.	Receipt	Total	Exp.	Closing Bal.
2011-12	Own Sources	5609933.50	17357809.57	22967743.07	17578776.00	5388967.07
	G.I.A.	9485069.00	7863307.00	17348376.00	2996650.00	14351726.00
	Total	**15095002.50**	**25221116.57**	**40316119.07**	**20575426.00**	**19740693.07**
2012-13	Own Sources	5388967.07	2144660.00	7533627.07	3243769.00	4289858.07
	G.I.A.	14351726.00	1168832.00	15520558.00	825889.00	14694669.00
	Total	**19740693.07**	**3313492.00**	**23054185.07**	**4069658.00**	**18984527.07**
2013-14	Own Sources	4289858.07	2230821.00	6520679.07	2800411.00	3720268.07
	G.I.A.	14694669.00	1449584.00	16144253.00	4394505.00	11749748.00
	Total	**18984527.07**	**3680405.00**	**22664932.07**	**7194916.00**	**15470016.07**
2014-15	Own Sources	3720268.07	2247149.00	5849427.07	3458847.00	2390580.07
	G.I.A.	11749748.00	2211542.00	14079280.00	3662324.00	10416956.00
	Total	**15470016.07**	**4458691.00**	**19928707.07**	**7121171.00**	**12807536.07**
2015-16	Own Sources	2390580.07	2733840.00	4994420.07	4346473.00	647947.07
	G.I.A.	10416956.00	2514359.00	13061315.00	3396372.00	9664943.00
	Total	**12807536.07**	**5248199.00**	**18055735.07**	**7978533.00**	**10077201.07**

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही का अन्तशेष ₹10077202.07 है। बैंकों एवं सावधि योजना के अनुसार 31.3.16 को अन्तशेष ₹10077201.37 बनता है। इस प्रकार 0.70 का अन्तर पाया गया। अतः रोकड़ बही तथा बैंकों के शेषों एवं सावधि योजना में निवेशित राशियों में जो अन्तर है उसकी समाधान विवरणिका निम्न प्रकार से हैः–

बैंकों एवं सावधि योजना में 31.03.16 तक राशियों का विवरणः–

(क)	बैंक का नाम	खाता सं0/सावधि सं0	31.3.16 तक जमा राशि ₹ में
	हि0प्र0 सहकारी बैंक नाकरण्डा	2939	512020.45
	यूको बैंक नारकण्डा	3322	247182.57
	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रामपुर	7984	820.55
	पंजाब नैशनल बैंक कुमारसैन	4455	10331.80
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नारकण्डा	65115290152	190377.00
(ख)	**सावधि योजना में निवेशित राशि का ब्यौरा**		
	यूको बैंक नारकण्डा	F/07-215616/03/07	2172122.00
	यूको बैंक नारकण्डा	F/07-215615/02/07	977620.00
	यूको बैंक नारकण्डा	F/12-213745	5966727.00
		कुल योग	**10077201.37**
	रोकड़ बही के अनुसार 31.3.16 को शेष		10077202.07
	अन्तर की राशि जिसका मिलान वाँछित है		0.70

4.2 ₹0.11 लाख को पिछले कई वर्षों से बिना संचालित खाते में अनावश्यक रूप में रखने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत ने पी0एन0बी0 कुमारसैन खाता संख्या 4455 तथा भारतीय स्टेट बैंक रामपुर जिला शिमला खाता संख्या 7984 में बिना किसी आवश्यकता के पिछले कई वर्षों से ₹10331.80 व ₹820.55 को रखा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा इन खातों से कोई लेन–देन नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण में इन बैंकों में दिनाँक 31.3.16 तक कितनी जमा राशियाँ है, के प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इन खातों में वर्तमान तक समस्त प्रविष्टियाँ करवा कर

इन्हें रोकड़ बही में लेखाबद्ध किया जाए व अनेक वर्षों से चल रहे इन निष्क्रिय खातों को अविलम्ब बन्द करके जमा राशि को नगर पंचायत के अन्य बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाये तथा इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरा संख्या 4.2 में भी आपत्ति उठाई गई थी लेकिन नगर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसकी अनुपालना अब सुनिश्चित की जाए।

4.3 निवेशः–

अवधि 4/14 से 3/16 तक बैंकों में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित की गई राशि का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में संलग्न है।

5 अनुदानः–

अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक के दौरान सरकार से विभिन्न शीर्षों से प्राप्त अनुदानों का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ग"** में सलग्न है।

5.1 विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशियों में से दिनाँक 31.03.16 तक ₹92.85 लाख का व्यय न करनाः–

उक्त अनुप्युक्त अनुदान ₹9284629 **(परिशिष्ट ग–1)** को सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इन अनुदान राशियों को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर इन्हें उन्ही उद्देश्य हेतु व्यय किया जाये जिस हेतु इन्हें प्राप्त किया गया था अन्यथा इन अनुदान राशियो का सम्बन्धित विभाग को प्रर्त्यापण किया जाये।

5.2 IDSMT मे प्राप्त अनुदान से ₹13.12 लाख का अनाधिकृत व्ययः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत को IDSMT Project Narkanda के लिये अवधि 2004–05 से 2009–10 तक कुल अनुदान ₹8281000/– प्राप्त हुआ तथा इस राशि को IDSMT Project के लिये ही व्यय किया जाना अपेक्षित था अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि IDSMT Project की अनुदान राशि में से वर्ष 2014–15 में ₹159760 तथा वर्ष 2015–16 में ₹1152047 अन्य विकास कार्यों हेतु व्यय किये गए जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग–4"** में संलग्न है जोकि अनियमित है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये अन्यथा उक्त अनुदान से अनाधिकृत रूप से किये गये व्यय की भरपाई न0प0 निधि से करके उसी उद्देश्य हेतु व्यय की जाए जिस हेतु इसे सरकार द्वारा स्वीकृति किया गया है।

5.3 ₹1.18 लाख की अनुदानों का बैंक खाते एवं रोकड़ बही में न पाया जानाः–

वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान नगर पंचायत, नारकण्डा के अनुदान प्राप्ति सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(F)(10)-9/2007-11 माह 12/14 के अन्तर्गत Maintenance of ULB roads के अन्तर्गत अनुदान राशि ₹117990 नगर पंचायत को जारी की गई दर्शाई गई थी। परन्तु नगर पंचायत के रोकड़ बही तथा बैंक खाते में इस राशि की प्रविष्टि नहीं पाई गई। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 21.11.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने बारे लिखा था जिस सन्दर्भ में उनके द्वारा दिये गये पत्र संख्या 8 दिनांक 5.5.2017 के अन्तर्गत दिये उत्तर में लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया है कि अनुदान राशि ₹117990 अभी तक निदेशालय शहरी विकास विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हुये है जिस बारे मामला निदेशक शहरी विकास उठाया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि नगर पंचायत में जो अनुदान राशि ₹117990 अभी तक प्राप्त नहीं हुये है उसे प्राप्त करने के लिए मामला निदेशक शहरी विकास शीघ्र उठाये तथा इस अनुदान राशि को शीघ्र प्राप्त करके उस उद्देश्य पर खर्च करें जिस उद्देश्य के लिए अनुदान राशि प्राप्त होगी। अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

6 नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत बजट से ₹81.79 लाख का व्यय न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 2014–15 से 2015–16 के दौरान स्वीकृत बजट व उसके विरूद्ध किए गए व्यय व शेष का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

क्र0सं0	वर्ष	स्वीकृत बजट (व्यय) ₹	वास्तविक व्यय ₹	अन्तर ₹
1	2014–15	10715800	7121171	3594629
2	2015–16	12563500	7978533	4584967
			कुल	**8179596**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वीकृत बजट के आधार पर व्यय नहीं किया गया के फलस्वरूप ₹81795961 का व्यय कम किया गया। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद की सीमा में नागरिकों को दी जानी वाली सुविधाओं के उपर होने वाली व्यय को निर्धारित स्वीकृत बजट से कम व्यय के फलस्वरूप सुविधाओं के लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः

भविष्य में पंचायत स्वीकृत बजट में दिये गये लक्ष्य की राशि को शत प्रतिशत उपयोग करना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाई जा सके। यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

7 आयः–

(1) दिनाँक 31.3.2016 को गृहकर की ₹8.03 लाख वसूली हेतु शेषः–

नगर पंचायत नारकण्डा द्वारा उपलबध करवाई गई सूचना/विवरणी **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार दिनाँक 31.3.16 को गृहकर की बकाया ₹802875/– गृहकर दाताओं से वसूली हेतु लम्बित थी जिसका एक मात्र कारण नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकाये अधिनियम 1994 की धारा 86 व 87 के अनुसार गृहकर वसूलने हेतु नहीं की गई कार्यवाही का परिणाम है। इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8 दिनांक 21.11.16 द्वारा नियमानुसार गृहकर की वसूली न करने बारे स्पष्टीकरण देने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। चर्चा यह बताया गया कि गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जायेगी और अधिक से अधिक वसूली की जायेगी। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि नगर पंचायत हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकाये अधिनियम, 1994 दिये प्रावधान अनुसार शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाए।

(2) अनाधिकृत रूप से गृहकर में 50% छूट देकर नगर पंचायत को ₹1.78 लाख की वित्तीय हानिः–

नगर पंचायत ने वर्ष 2015–16 में गृहकर की अधिक से अधिक वसूली के लिये गृहकर दाताओं को गृहकर में 50**%** की अनाधिकृत रूप से छूट देकर गृहकर की वसूली की जिसके फलस्वरूप ₹177856 की वित्तीय हानि हुई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8 दिनांक 21.11.16 द्वारा गृहकर में 50**%** छूट देकर वसूली करने बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत ने कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। अतः अनाधिकृत रूप से गृहकर की वसूली पर निम्नविवरणानुसार ₹177856 की छूट देने बारे आगामी अंकेक्षण के दौरान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

Year	Opening Balance (₹)		Total (₹)	Collection (₹)	Receipt (₹)	Closhing Balance (₹)
2015-16	859546	507374	1366920	386189	177856	802875

8 दिनाँक 31.3.16 को किराये के रूप में ₹15.22 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत में दिनांक 31.3.16 को किरायेदारों से ₹1522183 किराये के रूप में वसूली हेतु बकाया थी जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "घ–1"** में संलग्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा किराए की बकाया वसूली हेतु कोई ठोस पग नहीं उठाये गये जिसके फलस्वरूप किराये की बकाया वसूली ₹1522183 नहीं की गई। अतः किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाए तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

9 पट्टेधारकों से टोकन लीज राशि की वसूली न करने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत को ₹0.28 लाख की वित्तीय हानिः–

नगर पंचायत नारकण्डा व्यवसायिक परिसर की 25 दुकानों की विभिन्न अवधि में 99 वर्षों, 25 वर्षों व 35 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया परन्तु नव निर्मित दुकानों की नीलामी एवं शर्तों व अनुबन्ध के अनुसार पट्टे पर दी गई दुकानों के पट्टेधारियों से प्रत्येक वर्ष ₹100/– टोकन लीज की वसूली कुछ एक पट्टेधारियों से वसूली न करने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत को ₹27800 का वित्तीय हानि हुई है। अतः सम्बन्धित पट्टेधारियों जिसका विवरण निम्न प्रकार से है, से वाँछित वसूली शीघ्र करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर के कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

नगर पंचायत नारकंडा, जिला शिमला द्वारा पट्टे पर दी दुकानों की अवधि 31.3.16 तक वसूली योग्य बकाया टोकन लीज

क्र0सं0	नाम	दुकान नं0	पट्टे की तिथि	वसूली योग्य टोकन लीज ₹ में
1	श्री रोशन लाल मेखोक	8	30.10.91	500
2	श्री हरि राम	6	30.10.91	1500
3	श्री चन्द्र मोहन	7	30.10.91	500

4	श्री जगजीवन प्रसाद	3	30.10.91	500
5	श्री राजेन्द्र सिंघा	10	30.10.91	1500
6	श्री प्रदीप सिंघा	5	30.10.91	1500
7	श्री रमन सरकेक कार्यालय		28.8.94	500
8	वन विभाग नारकण्डा कार्यालय		15.8.94	1500
9	ट्रांसपोर्ट आफिस कार्यालय		30.10.91	1500
10	हि0प्र0 राज्य विपणन एवं वितरण निगम	7 व 9	2.2.95	2800
11	श्री कृष्ण देव	4	3.12.94	500
12	हि0प्र0 राज्य सहकारी कार्यालय बैंक		27.4.94	500
13	पुलिस विभाग कार्यालय		10.10.96	1500
14	टेलीफोन एक्सचेंज	कार्यालय	02.05.93	1500
15	हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम	कार्यालय	11.04.93	1500
16	श्री पवन कुमार	102	07.10.01	500
17	श्री ओम प्रकाश	108	07.10.02	1500
18	श्री राकेश आहुजा	109	7.7.01	1500
19	श्री राकेश आहूजा	110	7.7.01	1500
20	श्रीमती कृष्णा देवी	103	7.7.01	500
21	श्री राम लाल	107	7.7.01	1500
22	श्री सन्तोष कुमार	111	7.7.01	500
23	श्री हरीश मेहरा	106	15.1.04	500
24	श्री जगजीवन प्रसाद	101	7.7.01	1500
25	श्री प्रेम कुमार गुप्ता	112	7.7.01	500
				27800

10 दिनाँक 31.3.16 को मोबाईल टावर कम्पनियों से शुल्क की बकाया ₹2.14 लाख की वसूली न करने बारेः–

नगर पंचायत सीमा के अन्दर पाँच मोबाईल टावर कम्पनियों द्वारा स्थापित किये गये है। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या डी0आई0टी0–डी0ई0बी0 (आई0 टी0) 2005

दिनांक 22.08.2006 तथा निदेशालय शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0एच (ए) 7.1. 2006–10396–10444 दिनांक 25.9.2006 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न–2 मोबाईल कम्पनियों से मोबाईल टावर स्थापना शुल्क एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क क्रमशः ₹10000 व ₹5000 प्रति वर्ष वसूल करने अपेक्षित थे तथा हर पाँच वर्ष के पश्चात नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की बढ़ौतरी करके मोबाईल कम्पनियों से वसूल करने का प्रावधान है। अभिलेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा मोबाईल कम्पनियों से समय पर वसूली न करने के कारण **परिशिष्ट "ङ"** के अनुसार ₹213500 दिनांक 31.3.16 को स्थापना शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क के रूप में वसूल किये जाने बकाया थे। अतः मोबाईल कम्पनियों से स्थापना शुल्क व नवीनीकरण की वसूली न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 21.11.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नगर पंचायत द्वारा नहीं दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि मोबाईल कम्पनियों से बकाया ₹213500 की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जाये और इस वसूली को शीघ्र करके कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

11 निर्माणः–

(1) कार्य का नामः– C/O Path from circuit House road to Dinesh Kumar House ward No. 3 Phase-I

संविदाकार का नामः– श्री सुमित राठौर

आबंटन पत्र संख्याः–NPNKD/Works-10-11-250 dt. 25.8.14

आरम्भ करने की तिथिः–2.9.14

कार्य पूर्ण करने की तिथिः– 20.10.14

माप पुस्तिका संख्या 1 पृष्ठ संख्या 1 से 4

वाउचर संख्या 457 माह 11/14

₹3636 का अधिक भुगतानः–

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 1 पृष्ठ 1 से 4 में की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा संविदाकार को उक्त निर्माण कार्य के भुगतान से ₹3636 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Item No.:-

Cutting in earth work and disposal of all excavated earth up to alead of 20mtr. P/J work 50% each

जितनी एम0बी0 में गणना ली (पृष्ठ–1)

Forwall ½x8.50x1.50x1.20=7.65cum

Front of building ½x14.20x1.20x.75=7.66 cum

Total 15.318 cum

वास्तविक में जितनी गणना बनती है

For wall ½x8.50x1.50x1.20=7.65 cum

Front of building ½x14.20x1.20x.75=6.390cum

Total 14.04. cum

जितनी अधिक मात्रा ली= 15.318–14.040=1.278@154.50=`197.45

Randum rubble stone masonery

Polyganel rubble Massonery

Uncrossed brought to course with hard stone of approved quantity to B/Wall and Retaining wall

an C morter 1:6 (1 cement 6 sand)

जितनी M.B. No. (1) पृष्ठ 2 में ली

Wall in frount of Mangla Building	1x3.90x.75+.60/2x0.60+1.70/2	3.55 cum
Frount side	1x8.50x.75x.40	2.55 cum
	1x2.20x.70+.60/2x.60+2.20/2	2.00 cum
Steps	17x1.60x.45x.30	3.672 cum
Steps	10x1.40x0.25x0.20	0.70 cum
Edging of Path in front of	1x3.50x0.60x0.60	1.89 cum
manager Building	4.75x0.60x0.90	2.56 cum
	6.10x0.60x0.70+0.40/2	0.945 cum
	Total	**20.317 cum**
वास्तविक में जितनी मात्रा बनती थी		
Wall in front of Manage	1x3.90x0.75+0.60/2x0.60+0.70/2	3.03 cum
building front side	1x8.50x0.75x0.40	2.55 cum
	1x2.20x0.70+0.60/2+0.60+2.20/2	2.00 cum
Steps	17x1.60x0.45x0.30	3.672 cum
Steps	10x1.40x0.25x0.20	0.70 cum

Eadging of path in front of mangal Building	1x3.50x0.60x0.60	1.26 cum
	4.75x0.60x0.90	2.56 cum
	6.10x0.60x.70+.40/2	2.013 cum
Steps near Dinesh building	1x1.20x1.20x0.30	0.43 cum
	7x0.90x0.50x0.30	0.945 cum
	Total	**19.162 cum**
जितनी अधिक मात्रा लेकर भुगतान किया		
	(20.317-19.162)=1.155x2977 per cum	₹3438.44
कुल अधिक भुगतान	**197.45+3438.44=3635.88**	**₹3636.00**

इसके अतिरिक्त उक्त निर्माण कार्य के बिल की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत ने निर्माण कार्य में बिना सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाई अतिरिक्त मद का निष्पादन करवाया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

P/L cement Con 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone agg 40 mm nominal size) curring couplete excluding the cost of form work in foundation & plinth

मात्रा	**दर**	**राशि**
4.440 cum	1942.50	8624.70

अतः बिना सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाये इस अतिरिक्त मद का निर्माण कार्य करवाने बारें स्थिति स्पष्ट की जाए और इस की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(2) **कार्य का नामः–** Balance work C/O Dumping side near Dhoja Road nagar Panchayat Narkanda

संविदाकार का नामः– जोगिन्द्र सिंह

आबंटन पत्र संख्याः– N.P. NKD/works/2004 dt, 27.6.14

कार्य आरम्भ करने की तिथिः– 12.7.14

कार्य पूर्ण करने की तिथिः– 11.8.14

वास्तविक (Actual Date of Competion) 20.10.14

वाउचर संख्या 458 dt 1-11-14

बिना माप के मद का निष्पादन कार्य स्थल पर करके ₹1470 का अनियमित भुगतानः–

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित भुगतान वाउचर संख्या 458 दिनांक 1.11.14 ₹208320 से सम्बन्धित अभिलेख/माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि नगर

पंचायत द्वारा उक्त कार्य के अन्तिम बिल के भुगतान में Providing of PVC pipe 75mm dia for vipe hole की मद का भुगतान ₹1470 बिना पैमाईश के किया जोकि अनियमित था। अतः बिना पैमाईश के इस मद में भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस किये गये भुगतान ₹1470 की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा की जाये।

इसके अतिरिक्त Retaining wall के मद Randum rubble stone messonery/polygonal rubble massonery uncrossed brought to course with nominal stone of approved quantity in cement moter 1:6 (1 cement 6 sand) in brest wall and retaining wall के कार्य में कितने नं0 PVC vipe hole लगाये तथा उसकी गणना की कटौती Retaining wall में किये मद Rubble stone massonery की गणना से कम करके इस मद का भुगतान किया जाना था जबकि नगर पंचायत द्वारा retaining wall में कितने vipe hole थे की गणना नहीं दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त मद में कितना अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया। अतः कनिष्ठ अभियन्ता नगर पंचायत Retaining wall में कितने vipe hole थे उनकी मात्रा को घटा कर उक्त मद में जितना अधिक भुगतान किया की गणना अपने स्तर पर कर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(3) कार्य का नामः– C/O u shape drain near Kedar Nath House W.No. 7 near lal Koti, Nagar Panchayat Narkanda

संविदाकार का नामः– श्री राजेश कुमार

Award letter No. & Date%& N.P. NKD/works-2014-649 dt. 31.3.14

कार्य आरम्भ करने की तिथि:- 15.4.14

कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि 2.6.14

मापन पुस्तिका संख्या (1) पृष्ठ संख्या 10 से 13

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित भुगतान ₹38619 के वाउचर संख्या 461 दिनांक 1.11.14 की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत ने संविदाकार को उक्त निर्माण कार्य के एवज में किये भुगतान के बिल ₹38619 में सैल्स टैक्स की कटौती 3**%** के दर से ₹1159 के स्थान पर 2**%** के दर से ₹772 की गई। अतः इस प्रकार संविदाकार के बिल से ₹387 की कम कटौती कर अधिक भुगतान किया जिसकी वसूली अब करके इसे सैल्स टैक्स विभाग में जमा करवाया जाये व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(4) कार्य का नामः– C/O Path from old vetnerey Dispansary Hospital to Sh. Krishan Dev House ward No. 1 Nagar Panchayat Narkanda

संविदाकार का नामः– श्री सुमित राठौर

Award letter No. N.P. NKD/works-2014-377 dt. 27.10.14

कार्य आरम्भ करने की तिथिः– 28.10.2014

कार्य पूर्ण करने की तिथिः– 3.11.2014

वाउचर संख्या/दिनांक 465 दिनांक 1.11.14

माप पुस्तिका संख्या 1 पृष्ठ 13 से 15

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित वाउचर तथा माप पुस्तिका संख्या 1 पृष्ठ 13 से 15 में की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि मद "Chesclling/medging out of rock where blasting is prodbivted soft rock में 302-29 cum @ 449/-P.Cum की दर से 135728 का भुगतान बनता था जबकि ठेकेदार को इस मद में ₹135919 का भुगतान किया गया। अतः इस प्रकार ₹191 अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(5) कार्य का नामः– C/O Path plg tiles and construction of wall near Police chowki ward No. 1

संविदाकार का नामः– श्री किशोरी लाल वर्मा

आबंटन पत्र संख्यः– N.P./working/2015-1010-1013 दिनांक 4.9.15

माप पुस्तिका संख्या 11 पृष्ठ 72 से 74

बिल संख्याः– प्रथम एवं अन्तिम बिल

(1) निर्माण कार्य में ₹760 का अधिक भुगतानः–

उक्त निर्माण कार्य का भुगतान ₹3492 वाउचर संख्या 263 दिनांक 9.11.15 को श्री किशोरी लाल ठेकेदार को किया उक्त बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 2 पृष्ठ 72 से 74 में की प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मद "Random Rubble stone massonery/Polygonal rubble massonery uncrossed brought to course with hard stones of approved quantity in cement morter 1:6 (1 cement 6 sand) in Retaining wall and brust wall की गलत गणना लेने पर ₹760 का अधिक भुगतान किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

माप पुस्तिका में ली गणना का विवरणः–

Front on near E.O. Residence block	3.70x0.50x1.20	2.22 cum
Steps	10x1.00x0.25x0.20	0.50 cum
Steps	11x1.10x0.90x0.30	3.117 cum
loding	1x1.00x1.20x.25	0.30 cum
Steps to BDO Office round	14x0.85x0.60x.30	2.428 cum
	1x1.20x1.00x0.30	0.36 cum
Brest wall	2x1.20x0..90x0.30	0.64 cum
	2.40x0.60x1.50	2.26 cum
	0.40x.80x.40	0.128 cum
	Total	**11.961 cum**
जितनी गणना बनती थी		
Front on near E.O. Residence block	3.70x0.50x1.20	2.22 cum
Steps	10x1.00x0.25x0.20	0.50 cum
Steps	11x1.10x0.90x0.30	3.267 cum
loding	1x1.00x1.20x0.25	0.30 cum
Steps to BDO Office round	14x0.85x0.60x0.30	2.142 cum
	1x1.20x1.00x0.30	0.36 cum
	2x1.20x.90x0.30	0.648 cum
Brest wall	2.40x0.60x1.50	2.16 cum
	0.40x0.80x0.40	0.1280 cum
		11.725 cum
	जितनी Quantity अधिक ली	**11.961 cum-11.725 cum=0.236 cum**
	अधिक भुगतान	**0.236cumx₹3221=₹760.15 Says 760**

अतः इस किये गये अधिक भुगतान ₹760 की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लिये बिना निर्माण स्थल में अतिरिक्त मद का निष्पादन करने बारेः–

उक्त निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार ने निर्माण कार्य स्थल में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अतिरिक्त मद 15mm cement plaster in single coat on brick/con./stone wall for interim plasting up to floor two level in cement mortor 1:4 (1 cement 4 sand) का निष्पादन किया जिसके लिये ₹1175 का भुगतान किया गया। अतः बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्तकर अतिरिक्त मद का निष्पादन करने बारे स्थिति स्पष्ट

की जाये और इसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि करवाई जाये।

(3) बिना स्वीकृति के ₹5547 का निर्माण कार्य में अतिरिक्त मद करवाने बारेः–

नगर पंचायत ने निर्माण कार्य C/O U shape stone meassonery drain near Sr.Sec.School, Narkanda ward No. 1 से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में अतिरिक्त मद "Cement on 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) curing comp. excluding the cost of form work in foundation & plinth=1.752 cum करवाई तथा जिसके लिये ₹5546.65 अर्थात ₹5547 का अतिरिक्त भुगतान किया। इस अतिरिक्त मद को स्थल पर करवाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। अतः बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके स्थल पर अतिरिक्त मद के एवज में किये भुगतान ₹5547 बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस करवाई गई अतिरिक्त मद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(6) निर्माण कार्य का नामः– Diversion of drain & plg RCC stain Case to upper room and C/O Path near Om parkash shop Narkanda

संविदाकार का नामः– श्री मोहन मुसाफिर

आबंटन पत्र संख्याः– N.P./working/2015-1075-1078 dated 2-11-15

माप पुस्तिका संख्या 2 पृष्ठ 75 से 77

बिल संख्या   चलत बिल

(1) उक्त निर्माण कार्य के लिए ₹67392 का भुगतान वाउचर संख्या 264 माह 11/15 द्वारा ₹60392 तथा वाउचर संख्या 279 माह 12/15 द्वारा ₹7000 किया गया। इस किये भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निष्पादित मद "P/L cement con. 1:3:6 (1 cement 3 sand 6 graded stone agg. 20 mm Nominal size) curing complete excluding the cost of from work in foundation & plinth में गलत गणना करने के फलस्वरूप ₹738 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

माप पुस्तिका में ली गणना

Towards N.P. shops side	1x12.50x0.15+0.30/2x0.75	2.109
inside of drain Right side	1.20+1.20x0.15x0.15	0.247 cum
		2.35 cum
in front of dectivicy pole.		
जितनी गणना ली जानी थी		
	1x12.50x0.15+0.30/2x0.75	2.109 cum
	1.20+1.20x0.15x0.15	0.054 cum
		2.163 cum
अधिक मात्रा जितनी ली	0.187 cum	
अधिक भुगतान	0.187 cum X3948	738.28
	Says	738.00

अतः ₹738 के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके नगर परिषद निधि में अविलम्ब जमा की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) बिना स्वीकृति के ₹1175 की अतिरिक्त मद का निष्पादन करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये स्थल पर अतिरिक्त मद 15 mm cement plaster in single coat on back/con/Stone walls for inferior plasting up to floor in cement mortor 1:4 (1 cement 4 sand) (30 .00 m2) करवाया जिसके एवज में ₹1175 का भुगतान किया गया। अतः बिना सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर अतिरिक्त मद को निर्माण स्थल पर करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस अतिरिक्त मद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

12 स्थापनाः–

कर्मचारियों की सेवा पंजिका में वेतन वृद्धियों 1.10.12 से मिले संशोधित वेतनमान के अन्तर्गत वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टि की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों की सेवा पंजिका में वेतन का निर्धारण नियमानुसार नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को अधिक वेतन का भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर जितना वेतन का निर्धारण जो बनता है श्री रणवीर चौहान, लिपिक

1.8.12	7270+1900

हि0प्र0 वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR)-B(7) /64/2010 dated 27.9.12 के अन्तर्गत

1.10.12	10300+3200
1.10.13	10710+3200
1.10.14	11130+3200
1.10.15	11560+3200
1.10.16	12020+3200

सेवा पंजिका में जितना वेतन निर्धारण किया गया

1.8.11	10570+3200
1.8.12	10990+3200
1.8.13	11420+3200
1.8.14	11860+3200
1.8.15	12320+3200
1.8.16	12790+3200

उक्त किये गये वेतन निर्धारण के अनुसार श्री रणवीर सिंह चौहान लिपिक, को 1.3.13 से 31.7.16 तक ₹66964/– का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान वेतन में किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

Drwan						Due					Difference	Month	Excess Payment
Period	Pay Band	G.P.	Total	D.A.	Total	Pay Band	G.P.	Total	D.A.	Total			
01.03.13 to 30.06.13	10990	3200	14190	11352	25542	10300	3200	13500	10800	24300	1242	4	4968
01.07.13 to 31.07.13	10990	3200	14190	12771	26961	10300	3200	13500	12150	25650	1311	1	1311
01.08.13 to 30.09.13	11420	3200	14620	13158	27778	10300	3200	13500	12150	25650	2128	2	4256
01.10.13 to 31.12.13	11420	3200	14620	13158	27778	10710	3200	13910	12519	26429	1349	3	4047
1.01.14 to 30.06.14	11420	3200	14620	14620	29240	10710	3200	13910	13910	27820	1420	6	8520

1.7.14 to 31.7.14	11420	3200	14620	15643	30263	10710	3200	13910	14884	28794	1469	1	1469
1.8.14 to 30.9.14	11860	3200	15060	16114	31174	10710	3200	13910	14884	28794	2380	2	4760
1.10.14 to 31.12.14	11860	3200	15060	16114	31174	11130	3200	14330	15333	29663	1511	3	4533
1.1.15 to 30.6.15	11860	3200	15060	17018	32078	11130	3200	14330	16193	30523	1555	6	9330
1.7.15 to 31.7.15	11860	3200	15060	17921	32981	11130	3200	14330	17053	31383	1598	1	1598
1.8.15 to 30.9.15	12320	3200	15520	18468	33988	11130	3200	14330	17053	31383	2605	2	5210
1.10.15 to 31.12.15	12320	3200	15520	18468	33988	11560	3200	14760	17564	32324	1664	3	4992
1.1.16 to 31.7.16	12320	3200	15520	19400	34920	11560	3200	14760	18450	33210	1710	7	11970
										Total			**66964**

(2) न्यू सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों का गलत वेतन निर्धारण करने बारेः–

नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिका की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत ने कुछ एक कर्मचारियों को 1.10.12 को दिये वेतन में वित्तीय लाभ के पश्चात 1.1.15 से न्यू सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत 4–9–14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर वेतन वृद्धि दी जोकि अनियमित प्रतीत होती है जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कर्म चारी का नाम व पद	**1.10.12 से पूर्व वेतन**	**1.10.12 को वेतन का जो निर्धारण किया**	**1.1.15 को न्यू ACPS स्कीम में वेतन वृद्धि दे जो वेतन निर्धारण किया**
श्री दीप राम सफाई कर्मचारी	5090+1300	5090+1650	5960+1650
श्री अमर चन्द सफाई कर्मचारी	5090+1300	5090+1650	5960+1650
श्रीमती कुसुम लता सफाई कर्मचारी	5090+1300	5090+1650	5960+1650

अतः दिनांक 1.1.15 को न्यू सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत जो वेतन वृद्धि दी वे नियमानुसार देय नहीं बनती जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों को वेतन में अधिक/अनियमित निर्धारण कर वेतन में अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और अनियमित तौर पर अधिक वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कर्मचारियों को जो वेतन में अधिक भुगतान किया गया उसकी गणना अपने स्तर पर कर

सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली की जाये और आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

13 अधिक भुगतान ₹990 के बारेः–

नगर पंचायत द्वारा सुपर इलैक्ट्रोनिकस नारकण्डा को बिजली की सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹21712 का भुगतान किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0	बिल सं0 / दिनांक	राशि
247 / 11 / 15	2744 दि0 6.11.15	13572
–यथोपरि–	2450 दि0 26.8.15	250
–यथोपरि–	2449 दि0 26.8.5	7890
	कुल राशि	**21712**

उक्त बिलों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि बिल संख्या 2449 दिनांक 26.8.15 में CFL65W की दर 70 दर्शाई गई और 1 No. CFL 65W का भुगतान ₹700 लिया। अतः इस बिल में ₹70 के स्थान पर ₹700 का भुगतान किया और इसकी प्रकार बिल संख्या 2744 दिनांक 6.11.15 में 20 mtr 10mm service wire का ₹24 प्रति मी0 की दर से ₹840 का भुगतान किया जबकि यह ₹480 बनती थी। अतः इस प्रकार इन दोनों बिलों में ₹990 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस वसूली फर्त से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाये और कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 नायब तहसीलदार, पटवारी को अतिरिक्त कार्यभार के लिये मानदेय के रूप में ₹0.56 लाख का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत नारकण्डा के सचिव के पद का अतिरिक्त कार्यभार नायब तहसीलदार कुमारसैन तथा पठवारी का कार्यभार पटवारी नारकण्डा राजस्व विभाग को दिया गया था जिसके फलस्वरूप नायब तहसीलदार को नगर पंचायत द्वारा ₹2000 तथा पटवारी को ₹500 प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया गया जिन–2 अधिकारियों तथा पटवारियों को मानदेय का भुगतान किया गया उसका विवरण निम्न हैः–

	नायब तहसीलदार / पटवारी का नाम	अवधि	मानदेय की दर	कुल मानदेय
1	श्री राजेन्द्र ठाकुर	1.4.14 से 16.11.14	2000	15067

	नायब तहसीलदार	15.1.15 से 31.3.16	2000	29000 46067
2	श्री एन0डी0 मैहता पटवारी	1.4.14 से 31.3.16	500	12000
			कुल मानदेय	**56067**

उक्त मानदेय का भुगतान किन आदेशों के अन्तर्गत किया गया से सम्बन्धित कोई भी सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के लिए किसी भी प्रकार के मानदेय पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व नगर पंचायत निधि से किये मानदेय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर नियमित करवाया जाये तथा कृत कार्यवाही अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाये।

15 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेन्ट क्रय न करने के फलस्वरूप ₹11527 की वित्तीय हानिः–

नगर पंचारयत द्वारा निर्माण/मुरम्मत कार्यों के लिये सीमेन्ट की खरीद स्थानीय बाजार से आपूर्ति निवदाएं आमन्त्रित करके की जानी थी या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से की जानी अपेक्षित थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमेन्ट के क्रय के लिये सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों आदि के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया था जैसा कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पत्र संख्या एच0पी0एस0सी0 एस0पी0प्रो0–24 (360 आर0सी0/2004–05–18132–187 दिनांक 25. 9.04 में वर्णित है। इस पत्र में स्पष्ट किया है कि सीमेन्ट की आपूर्ति खुले बाजार दर से 40**%** कम पर दर संविदा (Rate contract) के आधार पर की जायेगी जिसके फलस्वरूप स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले निर्माण/मुरम्मत के कार्यों की लागत 25 कम हो सके व कार्य की गुणवता भी प्रभावित न हो। जबकि नगर पंचायत द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति खुले बाजार से बिना निविदाऐं आमन्त्रित की जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0/दिनांक	**फर्म का नाम/बिल सं0**	**सीमेन्ट की आपूर्ति**	**राशि**	**दर प्रति बोरी**
916/4/15	M/S Mahamaya Trading Co. Narkanda Bill No. 1648 dt. 1.4.15	30 नं0	11100	370

254/9/15	M/S Mahamaya Trading Co. Narkanda Bill No. 4620 dt. 22.9.15	100 नं0	35000	350
			46100	

यदि उक्त सीमेन्ट की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से की जाती तो नगर पंचायत द्वारा करवाये निर्माण/मुरम्मत कार्यो पर 25**%** कम लागत आती। अतः खुले बाजार से बिना औपचारिकता पूर्ण किये सीमेन्ट की खरीद पर ₹11527 (46100x25/100) का अपव्यय किया गया तथा नगर पंचायत को वित्तीय हानि हुई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और भविष्य में सीमेन्ट की खरीद सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मध्यनजर की जानी सुनिश्चित की जाये।

16 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अकाऊट कोड–1975 में दिये प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक एवं स्टोर का प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण द्वारा बार–2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–2 आपत्ति उठाने के उपरान्त भी अभी तक नगर परिषद द्वारा स्टॉक एवं स्टोर की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। स्टॉक एवं स्टोर की प्रत्यक्ष सत्यापना न करने बारे नगर पंचायत स्थिति स्पष्ट करें तथा स्टॉक एवं स्टोर की प्रत्यक्ष सत्यापना अविलम्ब करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 अचल सम्पति रजिस्टर का अभी तक रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अकाऊंट कोड–1975 की धारा 244 के अनुसार नगर पंचायत अपनी हर सम्पत्ति (चल एवं अचल) की प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा उस रजिस्टर का सत्यापन नगर पंचायत के सदस्य या सदस्यों की कमेटी द्वारा तीन वर्षों में एक बार किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण द्वारा इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–2 आपत्ति उठाने पर भी अभी तक चल एवं अचल रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि चल व अचल सम्पत्ति के रजिस्टर का रख रखाव किया जाए व सम्पत्ति रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जायें।

18 **लघु आपति विवरणिकाः–** अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः–**लेखों में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(v)96/92खण्ड–2– 2728–2729 दिनांकः 17.05.2017, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओ पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, नगर पंचायत नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

परिशिष्ट"अ" **पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में पड़े अनिर्णीत पैरों में की गई कार्यवाही के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/85 से 3/91

क्र0सं0	पैरा संख्या	पैरों पर कार्यवाही	टिप्पणी
1	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
3	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/96

1	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–16 (च)	अनिर्णीत	
4	पैरा–16 (ठ)	अनिर्णीत	
5	पैरा– 17	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2001

1	पैरा–11	अनिर्णीत	
2	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–15	अनिर्णीत	
4	पैरा–22 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–22 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–22 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–22 (4)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2005

1	पैरा–5 (2) (3)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (6)	अनिर्णीत	

3	पैरा—12	अनिर्णीत
4	पैरा—15 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा—15 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा—21 (ख) से (च)	अनिर्णीत
7	पैरा—23 (5)	अनिर्णीत
8	पैरा—27	अनिर्णीत
9	पैरा—30 (1)	अनिर्णीत
10	पैरा—30 (2)	अनिर्णीत
11	पैरा—30 (3)	अनिर्णीत
12	पैरा—30 (4)	अनिर्णीत
13	पैरा—30 (5)	अनिर्णीत
14	पैरा—30 (6)	अनिर्णीत
15	पैरा—30 (7)	अनिर्णीत
16	पैरा—32 (2)	अनिर्णीत
17	पैरा—33	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/07 तक

1	पैरा—6 (vii)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (ix)	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (x)	अनिर्णीत
4	पैरा—6 (xii)	अनिर्णीत
5	पैरा—6 (xiii)	अनिर्णीत
6	पैरा—7 (ii) से (vi)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/11 तक

1	पैरा—7.1	अनिर्णीत
2	पैरा—13	अनिर्णीत
3	पैरा—14	अनिर्णीत
4	पैरा—14.1	अनिर्णीत

5	पैरा–15	अनिर्णीत	
6	पैरा–15.2	अनिर्णीत	
7	पैरा–17	अनिर्णीत	
8	पैरा–18	अनिर्णीत	
9	पैरा–18.1	अनिर्णीत	
10	पैरा–19	अनिर्णीत	
11	पैरा–21	अनिर्णीत	
12	पैरा–22	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/14

1	पैरा–3	निर्णीत	(बैंक ड्राफ्ट संख्या 231197 दिनांक 24.10.14 द्वारा जमा किया जिसके अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत)
2	पैरा–4 (क) (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई)
3	पैरा–4.2	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा–4.3	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा–4.4	अनिर्णीत	
6	पैरा–5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई)
7	पैरा–5.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई)
8	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
9	पैरा–5.3	अनिर्णीत	
10	पैरा–5.4	निर्णीत	(अनुदान राशि में से ₹2.00 लाख नारकण्डा बस स्टैड के शौचालय में खर्च किये तथा बकाया अनुदान को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनुदान के पैरा में दर्शाया गया है)
11	पैरा–5.′5	अनिर्णीत	
12	पैरा–6	अनिर्णीत	

13	पैरा–7 (1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा में दी गई है)
14	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	
15	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत	
16	पैरा–8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा में अंकित की गई)
17	पैरा–9	निर्णीत	(उपरोक्त दी गई स्थिति के आधार पर)
18	पैरा–10.1	निर्णीत	(उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर)
19	पैरा–10.2	निर्णीत	(उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर)
20	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत	
21	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत	
22	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत	
23	पैरा–11 (4)	अनिर्णीत	
24	पैरा–11 (5)	अनिर्णीत	
25	पैरा–11 (6)	निर्णीत	(वसूली रसीद संख्या 532 दिनांक 24.11.16 द्वारा कर ली गई)
26	पैरा–12	निर्णीत	कर्मचारी को अधिक भुगतान से सम्बन्धित वसूली को 7/16 तक बनाकर वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा में दर्शाई गई है)
27	पैरा–13	अनिर्णीत	
28	पैरा–14 (1) से (3)	अनिर्णीत	
29	पैरा–15 (1) से (2)	अनिर्णीत	
30	पैरा–16	अनिर्णीत	
31	पैरा–17	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

31.3.14 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	81
वर्तमान अवधि में लगाए गए पैरे	(+)14
वर्तमान अवधि में निर्णीत किए पैरे	(–) 14
अन्तशेष	81